प्रेषक,

खान निरीक्षक,
बिजनौर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल
प्रधान पीठ,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

पत्रांकः 1538 /खनिज अनुभाग–23 दिनांकः 26 मई, 2023

विषय ओ0ए0 सं0 451/2022 आनन्द कुमार ध्यानी बनाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.04.2023 को ओ0ए0 सं0 451/2022 आनन्द कुमार ध्यानी बनाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के मामले में जिला खनन अधिकारी बिजनौर को आवेदक की भूमि से खनन की गयी मिटटी के मूल्य का आंकलन कर सम्बन्धित आख्या/अभिलेख सुनवाई की नियत दिनांक 29.05.2023 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की ओर से आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सादर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोक्त।

26/5/23

(बी0के0 गौतम)
खान निरीक्षक,
बिजनौर।

ओ0ए0 451 / 2022

आनन्द कुमार ध्यानी

बनाम

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक

03.04.2023 के अनुपालन में

जिला खान निरीक्षक, बिजनौर

की ओर से आख्या

26/5/23

खान निरीक्षक,
बिजनौर।

समक्षः— राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

ओ0ए0नं0 :— 451/2022

आनन्द कुमार ध्यानी बनाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांकित 03.04.2023 के परिप्रेक्ष्य में आख्या :—

01. यह कि ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता संख्या 74 गाटा सं0 1/11मि क्षे0 1.620 हे0 भूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के आदेश दिनांक 15.05.2023 को उपजिलाधिकारी नजीबाबाद, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद व अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया।

02. यह कि संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया। संयुक्त जॉच में आवेदक आनन्द कुमार ध्यानी का उपरोक्त खेत वर्तमान में आस—पास के खेतो के बराबर समतल पाया गया तथा उक्त खेत सडक से ऊंचा होना पाया गया, फोटोग्राफ मय जियोकॉर्डिनेट्स **संलग्नक—1** हैं। प्रथम दृष्टया मौके पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त खेत से मिटटी की निकासी की गयी है, जॉच आख्या **संलग्नक—2** है।

03. यह कि लोक निर्माण विभाग के अनुबन्ध पत्र सं0 63/SER6/2021—22 दिनांक 24.08.2021 के अनुसार ग्राम मुर्तजापुर रोड से ग्राम शंकरपुर तक 05 कि0मी0 रोड निर्माण हेतु ठेका मैसर्स राकेश कुमार निवासी सी—120 आशियाना प्रथम जिला मुरादाबाद को दिया गया, जिनके द्वारा उक्त कार्य दिनांक 24.08.2021 से प्रारम्भ कर दिनांक 23.01.2022 को समाप्त किया जाना था। उक्त अनुबन्ध पत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु 16,000 घन0मी0 मिटटी की मात्रा रू 79/— प्रति घनमीटर के आधार पर कुल रू0 12,64,000/— निर्धारित की गयी थी।

04. यह कि साधारण मृदा/मिटटी पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ की अधिसूचना सं0 641/86—2018—153(सा0)/2017 दिनांक 27 मार्च, 2018 उ0प्र0 उप खनिज परिहार (45 वां संशोधन) नियमावली, 2018 में साधारण मिटटी/साधारण मृदा दर शून्य कर दी गयी है, शासनादेश की प्रति **संलग्नक—3** है।

05. यह कि उपरोक्त भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ की उपरोक्त अधिसूचना सं0 641/86—2018—153(सा0)/2017 दिनांक 27 मार्च, 2018 के अन्तर्गत साधारण मिटटी/साधारण मृदा दर शून्य होने व उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम—21(3) में प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर नियत नहीं करेगी एवं शासनादेश सं0 3385/86—2015—292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अन्तर्गत खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) होना निर्धारित है, **संलग्नक—4**।

06. यह कि संयुक्त जॉच आख्या कमेटी के निरीक्षण के समय क्षेत्र में अवैध खनन होता प्राप्त नहीं हुआ है।

आख्या सादर प्रस्तुत।

दिनांकः—26.05.2023

(हस्ताक्षर) 26/5/23

खान निरीक्षक,

बिजनौर।

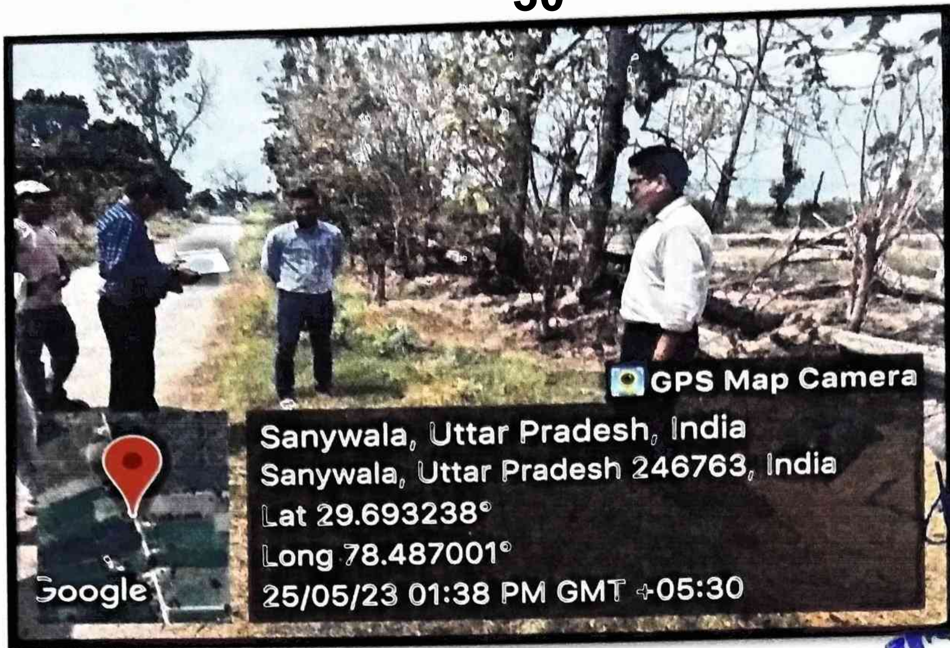

निरीक्षक
एवं खनिकर्म विभाग
जनपद .बिजनौर

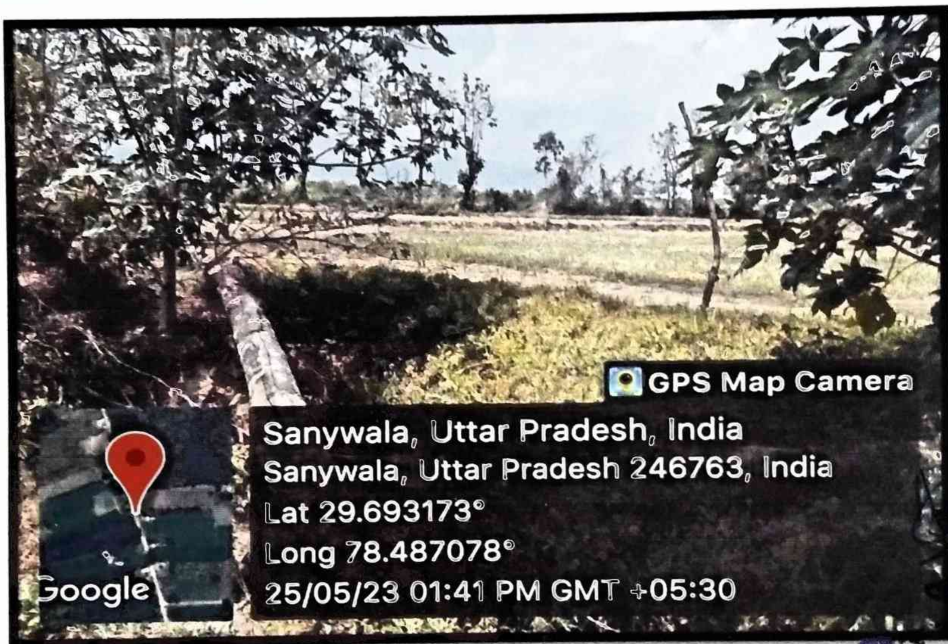

निरीक्षक
एवं खनिकर्म विभाग
जनपद .बिजनौर

एवं खनिकर्म विभाग
जनपद .बिजनौर

GPS Map Camera
Sanywala, Uttar Pradesh, India
Sanywala, Uttar Pradesh 246763, India
Lat 29.693222°
Long 78.487038°
25/05/23 01:38 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Sanywala, Uttar Pradesh, India
Sanywala, Uttar Pradesh 246763, India
Lat 29.693223°
Long 78.48703°
25/05/23 01:36 PM GMT +05:30
Google

संयुक्त जॉच आख्या

कृपया माननीय राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में दायर **O.A No. 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department** में पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यालय पत्रांक 1494/खनिज अनुभाग–23 दिनांक 15.05.2023, जिसमें टीम गठित कर अधोहस्ताक्षरीगण को संयुक्त रूप से प्रकरण में स्थलीय जॉच कर सुस्पष्ट जॉच आख्या ससमय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा आज दिनांक 25.05.2023 की अपराह्न में ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0 74 गाटा सं0 1/11मि क्षे0 1.620 हे0 भूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया। आवेदक आनन्द कुमार ध्यानी का उपरोक्त खेत वर्तमान में आस–पास के खेतो के बराबर समतल पाया गया तथा उक्त खेत सडक से ऊंचा होना पाया गया **(फोटोग्राफ मय जियोकॉर्डिनेटस् संलग्न)**। प्रथम दृष्टतया मौके पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त खेत से मिटटी की निकासी की गयी है। लोक निर्माण विभाग के अनुबन्ध पत्र संख्या 63/SER6/2021–22 दिनांक 24.08.2021 के अनुसार ग्राम मुर्तजापुर रोड से ग्राम शंकरपुर तक 05 कि0मी0 रोड निर्माण हेतु ठेका मैसर्स राकेश कुमार निवासी सी–120 आशियाना प्रथम जिला मुरादाबाद को दिया गया था। जिनके द्वारा उक्त कार्य दिनांक 24.08.2021 को प्रारम्भ कर दिनांक 23.01.2022 को समाप्त किया जाना था। उक्त अनुबन्ध पत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु 16,000 घन0मी0 मिटटी की मात्रा रू0 79/– प्रति घनमीटर के आधार पर कुल रू0 12,64,000/– निर्धारित की गयी है। साधारण मिटटी पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ की अधिसूचना सं0 641/86–2018–153(सा0)–2017 दिनांक 27 मार्च, 2018 उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45 वां संशोधन) नियमावली, 2018 में साधारण मिटटी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मा0 सांसद श्री गिरीशचन्द व शिकायतकर्ता किशनचन्द पुत्र ख्वानी निवासी मौ0 कस्साबान बिजनौर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि भूमि अभिलेख में हेरा–फेरी की गयी है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम मुर्तजाबाद के अभिलेखो का परीक्षण कर आख्या राज्य स्तरीय कमेटी को दी गयी। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात् उपजिलाधिकारी नगीना के न्यायालय में वाद सं0 टी202213160402958 धारा 38(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता उ0प्र0 सरकार बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 27.08.2022 को खातेदारो के नाम निरस्त कर भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भांति मूल श्रेणी जंगल के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जो अभिलेखो में अंकित है। उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद, मण्डल मुरादाबाद सं0 390/पेशकार में दिनांक 06.10.2022 के क्रम में दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में भी वाद उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

25/5/23
खान निरीक्षक,
बिजनौर।

25/5/23
अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
नजीबाबाद।

25/5/2023
उपजिलाधिकारी
नजीबाबाद।

महत्वपूर्ण

संख्या– /86–2018–153(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा0 बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 28- मार्च, 2018

विषय:– साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य किये जाने सम्बन्धी उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जनसामान्य को मिट्टी के उपयोग में आ रही कठिनाईयों के निराकरण और विकास कार्यों में मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गयी है और तद्नुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (45वां संशोधन) नियमावली, 2018 अधिसूचना संख्या–641/86–2018–153(सामान्य)/2017, दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रख्यापित कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

ह)

संख्या– 641(3)/86–2018–तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

45

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
संख्याः 641 /86–2018–153(सा0)/2017
लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2018

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या–67 सन् 1957) की धारा–15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची का संशोधन — 2. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रथम अनुसूची (नियम–21 देखिये)			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची (नियम–21 देखिये)		
क्र0 स0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर	क्र0 स0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	चूना पत्थर	रू0 150.00 प्रतिटन या रू0 275.00 प्रति घनमीटर	1	चूना पत्थर	रू0 150.00 प्रतिटन या रू0 275.00 प्रति घनमीटर
2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 206.00 प्रतिटन या रू0 405.00 प्रति घनमीटर	2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 206.00 प्रतिटन या रू0 405.00 प्रति घनमीटर
3	ईट बनाने की मिट्टी	रू0 54प्रति हजार बनी ईट	3	ईट बनाने की मिट्टी	रू0 54प्रति हजार बनी ईट
4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शल स्टोन)	
(क)	एक मीटर या ऊपर के साइज के	रू0 5000.00 प्रति घनमीटर	(क)	एक मीटर या ऊपर के साइज के	रू0 5000.00 प्रति घनमीटर
(ख)	एक मीटर या नीचे के साइज के	रू0 3000.00 प्रति घनमीटर	(ख)	एक मीटर या नीचे के साइज के	रू0 3000.00 प्रति घनमीटर

2

(… सिंह यादव)

(ii)	स्लैब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमेन्शल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 650.00 प्रति घन मीटर	(ii)	स्लैब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमेन्शल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 650.00 प्रति घन मीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 600.00 प्रति घन मीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 600.00 प्रति घन मीटर
(iv)	खण्डास और बोल्डर		(iv)	खण्डास और बोल्डर	
(क)	ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 125.00 प्रति घनमीटर	(क)	ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 125.00 प्रति घनमीटर
(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 100.00 प्रति घनमीटर	(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 100.00 प्रति घनमीटर
(v)	बैलास्ट (गिट्टी)		(v)	बैलास्ट (गिट्टी)	
(क)	ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रू0 160.00 प्रति घनमीटर	(क)	ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रू0 160.00 प्रति घनमीटर
(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रू0 110.00 प्रति घनमीटर	(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रू0 110.00 प्रति घनमीटर
(ग)	स्टोन डस्ट	रू0 100.00 प्रति घनमीटर	(ग)	स्टोन डस्ट	रू0 100.00 प्रति घनमीटर
5.	मौरम		5.	मौरम	
(क)	नदी तल में उपलब्ध	रू0 150.00 प्रतिघन मीटर	(क)	नदी तल में उपलब्ध	रू0 150.00 प्रतिघन मीटर
(ख)	पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रू0 75.00 प्रतिघन मीटर	(ख)	पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रू0 75.00 प्रतिघन मीटर
6.	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6.	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
(क)	प्रथम श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 65.00 प्रति घनमीटर	(क)	प्रथम श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 65.00 प्रति घनमीटर
(ख)	द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 55.00 प्रति मीटर घन	(ख)	द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 55.00 प्रति मीटर घन
7.	बजरी (सिंगिल)	रू0 110.00 प्रति मीटर घन	7.	बजरी (सिंगिल)	रू0 110.00 प्रति मीटर घन
8.	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रू0 30.00 प्रति मीटर घन	8.	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रू0 00.00
9.	पायरोफिलाइट	रू0 300.00 प्रति टन	9.	पायरोफिलाइट	रू0 300.00 प्रति टन
10.	डायस्पोर	रू0 500.00 प्रति टन	10.	डायस्पोर	रू0 500.00 प्रति टन

(हृदय नारायण यादव)
अनुसचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उ0प्र0 शासन

(77)

प्रेषक,

संख्या– 3385/86–2015–292/2015

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांकः 15 अक्टूबर, 2015

विषयः–सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाते हैं। ऐसे निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–594/77–5–2001/200/77 टीसी–1, दिनांक 02.02.2001 जारी किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 02.02.2001 एवं तत्क्रम में निर्गत अनुवर्ती शासनादेशों के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0–11) के आधार पर परिवहन किये गये हैं। जिन मामलों में रायल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखाशीर्षक में अवश्य जमा करा ली जाय।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त शासनादेश की आड़ में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा ऐसे स्थान अथवा ऐसे जनपदों में जहाँ उपखनिजों के खनन के लिये खनन पट्टे स्वीकृत हैं एवं वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0–11) के आधार पर खनिज प्राप्त किया जा सकता है, उन स्थानों पर भी उपखनिज यथा (बालू, मौरम, गिट्टी आदि) का अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं एवं बिल से रायल्टी की धनराशि कटवाकर जमा कर दिया जाता है। ठेकेदारों का उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 ए एवं उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम–3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार से उपखनिज लब्ध किये जाने से न सिर्फ अवैध खनन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, अपितु अनियंत्रित खनन से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के भी कुप्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है।

उक्त अधिनियम की धारा–21(5) के प्रावधानों के अनुसार यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपयोग कर लिया गया है तो अवैध खननकर्ता से रायल्टी के साथ–साथ खनिज का मूल्य भी वसूला जा सकता है।

3. अतः खनिजों के अवैध खनन व अवैध परिवहन एवं राजस्व की क्षति को रोकने के उद्देश्य से निम्नांकित व्यवस्था तत्काल लागू की जाती है:—

(1) सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों (गिट्टी, साधारण बालू, मौरम, इमारती पत्थर, साधारण मिट्टी आदि) की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0—11) के आधार पर परिवहन किये गये हैं।

(2) रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति कर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये।

(3) यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से संबंधित ठेकेदार द्वारा किसी भी उपखनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0—11) के किया जाता है, तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ—साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक "0853—अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग—102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश निर्गत करने तथा उनकी प्रतियॉ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या : /86—2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव।

EXTRACT OF BOND

38

Contract Bond No. 63/SE-RC/21-22 Date: 24.08.2021

Head Of Account-

Name of Work: New construction at Lalwala Kotdwar road in km-05 to Murtzapur road via Shankarpur.

Name of Contractor: M/s Rakesh Kumar, R/o- C-120, Ashiyana First Moradabad, Distt- Moradabad.

PAN- AMLPK8551F GST No- 09AMLPK8551F1ZP

Special Conditions As per Model Bidding Document

Estimated Cost Rs.- 2,00,45,860.00

Tendered Cost Rs. - 1,67,36,288.51

Date of Start - 24.08.2021

Date of Completion 23.01.2022 (6 माह)

Bid Security Rs. - 5,02,110.00

Defect Ligbility Period – 2 Years

Stamp Duty- 100+200

BELOW: 16.51 % (21.57% Below from T.S.)

Detail of Security

FDR. No.- 407000PU00115892 Date- 19.08.2021 Rs. 5,05,000.00

True copy Total- 5,05,000.00

सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड- 2, लो०नि०वि०
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

Extra item – NIL –

No. Of Bill ref. Of M.B. No. Date Date of Mts	Gross Amount of Bill Rs.	SGST CGST	10% Security	Labour Cess	Income Tax	Royalty	Other Deductions if Any	Net Amount of Bill
	V: No- 40 Dt 24-9-21		5% R.M					
Ist R Bill MB No 281 P- 21-22 Dt 20/9/21	10078693 (+) 1209443 = 11288136	100787 100787	503935	100787	100787	420000	—	9961053.–
IInd/R. Bill MB NO-281 P-75-76 Dt- 01/10/22	978807=00 (+) 117457=00 = 1096264=00			9788=00 9788=00	9788=00 9788=00	—	—	1057112=00
IIIrd/R Bill MB No-281 P-89-91 Dt 20/11/22	1447216=00 (+) 173666=00 = 1620882=00			14472=00 14472=00	14472=00 14472=00		—	1562994=00
IVth/R. Bill MB-296 P-88-89 Dt-03/03/23	1630998=00 (+) 195720=00 = 1826718=00		16310=00 16310=00		16310=00 16310=00		—	1761478=00
Vth/Final Bill MB-No-296 P.No-90-91 Dt.-04/03/2023	142599=00 (+) 17112=00 = 159711=00		1423=00 1423=00	1423=00	1423=00	—	—	154019=00

Kuldeep/EXT. OF BOND

AE-II
Sr. D.A.O 10/2/23
Sr. D.A.O 21/3/23
Sr. D.A.O 27/3/23

Percentage BoQ Revised

...Inviting Authority: EE, CD-2, PWD, BIJNOR, (HQ-NAJIBABAD)

...of Work: New Construction at Lalwala Kotdwar road in km. 5 to Murtazapur road vis Shankarpur.

...ontract No: 2787 /E-Tender R.C./21-22 Dated : 30.04.2021

Bidder Name: M/S RAKESH KUMAR

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Estimated Rate	TOTAL AMOUNT Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	6	53	55
1	Construction of embankment with approved material obtained from right of way with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300-2 but excluding cost of GST	16000.00	Cum	79.00	1264000.00	INR Twelve Lakh Sixty Four Thousand Only
2	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401.but excluding cost of GST	2500.00	Cum	2120.00	5300000.00	INR Fifty Three Lakh Only
3	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening/binding materials to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 2 as per Technical Specification Clause 405 but excluding cost of GST	1460.00	Cum	2810.00	4102600.00	INR Forty One Lakh Two Thousand Six Hundred Only
4	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405. but excluding cost of GST	1406.00	Cum	2710.00	3810260.00	INR Thirty Eight Lakh Ten Thousand Two Hundred & Sixty Only
5	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-2) grade on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70 kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502 but excluding cost of GST	18750.00	Sqm	24.00	450000.00	INR Four Lakh Fifty Thousand Only
6	Providing and applying tack coat with bitumen (VG-10) using bitumen distributor at the rate of 0.35 kg per sqm on the prepared granular surfaces treated with primer & cleaned with Hydraulic broom as per Technical Specification Clause 503. but excluding cost of GST	18750.00	Sqm	12.00	225000.00	INR Two Lakh Twenty Five Thousand Only

Contractor   A.E.   E.E.   S.E.

	Providing, laying and rolling of open-graded premix carpet of 20 mm thickness by manual means composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates using VG-10 Grade Bitumen bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat as per Technical Specification Clause 508. but excluding cost of GST	18750.00	Sqm	130.00	2437500.00	INR Twenty Four Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only
8	Providing and laying seal coat by manual means with VG-10 Grade Bitumen sealing the voids in a bituminous surface laid to the specified levels, grade and cross fall using Type C as per Technical Specification Clause 510 but excluding cost of GST	18750.00	Sqm	50.00	937500.00	INR Nine Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only
9	Earth work in excavation in ordinary soil in foundation trenches etc. including lifts upto 1.50 M and lead upto 30 M and including filling, watering and ramming of excavated earth into trenches or into space between sides of foundation trenches and removal and disposal of surplus earth as directed by as per direction of Engineer-incharge but excluding cost of GST	270.00	Cum	120.00	32400.00	INR Thirty Two Thousand Four Hundred Only
10	Cement concrete with 4 cm gauge approved stone aggregate, coarse sand and cement in proportion 8:4:1 in foundation, mechanically mixed and vibrated including supply of all material, labour and T&P etc. required for proper completion of work but excluding cost of GST	54.00	Cum	5300.00	286200.00	INR Two Lakh Eighty Six Thousand Two Hundred Only
11	First class brick work in 1:3 cement and C sand of mortar in foundation & plinth including supply of all materials, labour and T & P etc reqiored for proper completion of the work as per direction of Engineer-incharge but excluding cost of GST	155.00	Cum	4950.00	767250.00	INR Seven Lakh Sixty Seven Thousand Two Hundred & Fifty Only
12	Struck pointing with cement mortar consisting of 1 part cement and 2 part of fine sand of 1.25 finess modulus on brick work including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work but excluding cost of GST	338.00	Sqm	155.00	52390.00	INR Fifty Two Thousand Three Hundred & Ninety Only
13	12 mm thick plaster with 1 part of cement and 3 part ofcoarse sand over brick work including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work but excluding cost of GST	7.00	Sqm	180.00	1260.00	INR One Thousand Two Hundred & Sixty Only
14	Supply and fixing of Hume Pipes NP-3 900 mm dia including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work but excluding cost of GST	60.00	RM	4600.00	276000.00	INR Two Lakh Seventy Six Thousand Only
15	Supply and fixing of Hume Pipes NP-3 350 mm dia including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of work but excluding cost of GST	45.00	RM	2300.00	103500.00	INR One Lakh Three Thousand Five Hundred Only
Total in Figures					20045860.00	INR Two Crore Forty Five Thousand Eight Hundred & Sixty Only
Quoted Rate in Figures			Less (-)	16.5100%	16736288.5100	INR One Crore Sixty Seven Lakh Thirty Six Thousand Two Hundred & Eighty
Quoted Rate in Words	INR One Crore Sixty Seven Lakh Thirty Six Thousand Two Hundred & Eighty Eight and Paise Fifty One Only					

E.E. S.E.

A.E.

Contractor

9/

Item No.4 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No.451/2022

Anand Kumar Dhyani ....Applicant

Versus

Public Works Department .....Respondent

Date of hearing: 03.04.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Applicant in person (through V.C.).

Respondent: Mr. Rahul Verma Additional Advocate General, State of Uttrakhand (through V.C.).
Mr. Arvind Kumar and Mr. Ankit Kumar Vats for UPPCB

ORDER

1. The grievance in the present application filed by Mr. A.K. Dhyani is that road was constructed by PWD Najibabad from Shankarpur Farm to Dhakiya main road adjacent to his fields. The contractor uprooted 11 more than 10 years old sagwan/Sagon trees and dugout soil from his fields for filling land of the road leaving big pit there. No trees have been planted in lieu of the uprooted sagwan/sagon trees and no compensation has been paid to him for lifting soil from his fields.

2. This Tribunal constituted a Joint Committee vide order dated 05.07.2022 as modified vide order dated 01.08.2022 and directed the same to submit factual and action taken report.

3. In compliance of the above said orders, joint inspection report dated 27.01.2023 has been submitted vide email dated 27.01.2023. The relevant part of the report is reproduced as under:

"Joint inspection report in compliance of direction issued by Hon'ble NGT vide order dated 01.08.2022 & 21.10.2022 in the matter of Anand Kumar Dhyani Vs. Public works Department in O.A. No. 451/2022.

X X X X

3 Observation-

In compliance to the direction, joint inspection was carried out by the joint committee on 24.01.2023. Detailed report is follows-

1. During Inspection it was found that earlier kacchi road located at village Murtzabad, Teshil Nagina, District Bijnor has been constructed into paved road by Public Works Department and during digging of soil by mechanical equipment 11 nos, trees of teak (Sagwan) lying inside the road at gata no. 1/11mi village Murtzabad were uprooted by the contractor, which were found on the spot. Copy of the report of Revenue Inspector, Nagina (Bijnor) is annexed as Annexure- 4.

2. During Inspection, it was informed that Shri Anand Kumar Dhyani, Shivlok -II, Chandrabani Road, Shimla Bypass, Dehradun had made a complaint to telephonically to the Range officer, Kaudia range, Bijnor Forest Division, Najibabad that PWD, Najibabad is constructing a road from Shankarpur Farm to Kotdwar-Nagina road and Anup kumar, contractor's, Supervisor has uprooted 11 teak/ Sagwan trees from his private agriculture land.

3. In reference to complaint made by Shri A.K. Dhyani, earlier investigation was done by Shri Pradeep Kumar, Forester, Kaudia Range and it was found that the road from Shankarpur farm to main road of village Dhakiya is being constructed by PWD, Najibabad and 11 teak (Sagwan) trees has been uprooted by Shri Anup Kumar, contractor's, Supervisor and two other unknown person. Further, no permission was taken from Forest Department for felling of the trees.

4. On above the matter, Range Forest Crime Case no. 13/Kaudia/2021-22 dated 25.10.2021 was registered by concerned department against the Anup kumar and two another unknown person under section 4/10 of Utter Pradesh Tree Protection Act, 1976. Copy is annexed as Annexure-5.

5. Further, During investigation made by Forester Kaudia, the statement of accused Shri Anup Kumar S/o Shri Bhup Singh R/o of Khabariaghat, Post & Thana Bhagatpur, District- Moradabad was recorded. Further, he confessed his guilt and seek departmental decision and in continuation of that a fine of rupees 55,000/_ (Fifty Five Thousands) was imposed on the accused and the case was compounded. Copy is annexed as Annexure- 6.

6. Conclusion-

During inspection it was observed that the contractor had uprooted 11 teak trees without obtaining necessary permission from the Forest Department and appropriate action has been taken by the concerned department."

4. In view of the averments made in the application and observations in the report of the joint committee, we consider it appropriate to have the response of Engineer in Chief, PWD, Uttar Pradesh, Shri Anup Kumar S/o Shri Bhup Singh R/o of Khabariaghat, Post and Thana Bhagatpur, District-Moradabad and the concerned contractor whose particulars are to be furnished by the concerned Executive Engineer, PWD, Bijnor who stand impleaded as respondents no. 2 to 4.

5. The Registry is directed to prepare memo of parties and attach the same with the application and to issue notices to respondents no. 2 to 4.

6. Notices be served on Shri Anup Kumar S/o Shri Bhup Singh R/o of Khabariaghat, Post and Thana Bhagatpur, District-Moradabad and the concerned contractor through concerned Executive Engineer, PWD, Bijnor. For this purpose notices issued to them be sent to the Executive Engineer, PWD, Bijnor by email for effecting service on them and sending his report in this regard.

7. In the course of hearing the applicant has submitted that he has filed a claim for payment of compensation of Rs. 11,80,000/- before the DFO, Bijnor Forest Division, Najibabad. The Division Forest Officer, Bijnor Forest Division, Najibabad is directed to make an assessment of the market value of the 11 trees illegally cut on the basis of the rates adopted by the Forest Department and submit his report within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. The applicant has also claimed that soil was illegally dug out from his field for filling of land for construction of the road. The District Mining

Officer, Bijnor is directed to make an assessment of the value of the soil mined from the land of the applicant as per the prevalent market rates and submit his report within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

9. List for further consideration on 29.05.2023.

10. A copy of this order be forwarded to Engineer in Chief, PWD, Lucknow and Executive Engineer, PWD, Bijnor by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 03, 2023
N